निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 62/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र )

छीतर पुत्र नारायण जाति जाट निवासी नोल्या, तहसील दूदू, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. भूरा पुत्र सुवा जाति जाट निवासी नोल्या, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
2. आमीन
3. हकीम

   पुत्रान सवाई खां
4. इलियास पुत्र चांद खां अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरिक्षका माता श्रीमती जन्नत पत्नी चांद खा

   जातियान मुसलमान, निवासी नोल्या, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
5. तहसीलदार दूदू ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 54 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष विचाराधीन मुकदमा नम्बर 80/2018 (125/2015) व उनवानी भूरा बनाम छीतर व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने ।

उपस्थितः-

1. श्री गोपाल चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री एस॰ जे॰ गिरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 14.12.2020

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायायल उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष प्रकरण संख्या 80/2018 (125/2015) व उनवानी भूरा बनाम छीतर व अन्य विचाराधीन है। जो अपीलीय न्यायालय से दिनांक 04.09.2018 को निर्णिय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाधीन निग्रय दिनांक 26.7.2017 को अपास्त कर मामले को पुनः सुनवाई कर निर्णित किये जाने के लिए प्रतिप्रेषित किया था। निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मामला दिनांक 18.10.2018 को पुनः दर्ज कर लिया गया था। जिसे दर्ज किये 20 माह से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है, परन्तु अभी तक मामला उसी प्रक्रम पर है जिस प्रक्रम पर यह दर्ज किया गया था पर लम्वित है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर ए एस अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.2018 की जानवृझ कर अवहेलना कर अपने समक्ष लम्वित मामले के निस्तारण में विलम्ब कर रहे है तथा हस्तगत प्रार्थना पत्र के अप्रार्थी संख्या 1 ता 22, मिन प्रार्थीगण को एलानिया यह धमकी दे रहे है कि उन्होंने पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर ए एस से बात कर ली है तथा

जिला कलक्टर
जयपुर

उन्होंने आश्वास्त कर दिया है कि वे अपने कार्यकाल में अपने समक्ष लम्बित मामले का निस्तारण नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में मिन प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है ऐसा कथन अंकित उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तररित किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी दूदू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। ,अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से वकील श्री एस जे गिरी ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. उभयपक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

5. प्रार्थी के अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष प्रकरण 18.10.2018 को पुनः दर्ज किया गया है। जिसे दर्ज किये 20 माह से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है, परन्तु अभी तक मामला उसी प्रक्रम पर लम्बित है जिस प्रक्रम पर यह दर्ज किया गया था। पीठासीन अधिकारी जानबूझ कर निस्ताण में विलम्ब कर रहे है। अप्रार्थीगण धमकी दे रहे है कि पीठासीन अधिकारी ने आश्वस्त कर दिया है कि वे अपने कार्यकाल में अपने समक्ष लम्बित उक्त मामले का निस्तारण नहीं करेंगे। जबकि अप्रार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण की आदेशिकाओं की फोटो प्रति पेश की गई है जिसके अनुसार 26.08.2020 को पत्रावली में बहस सुनी जा चुकी है और आदेश हेतु दिनांक 07.09.2020 की तारीख दी गई है। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा बहस सुनने के पश्चात प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 27.08.2020 को यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिससे प्रार्थी के आरापों को बल नहीं मिलता है। बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं प्रकरण के निस्तारण किये जाने में विलम्ब कराना चाहता है। जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है। पीठासीन अधिकारी पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

6. उपखण्ड अधिकारी दूदू उभय पक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी दूदू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 14.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

14/12/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर